न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला नीमकाथाना (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सविता शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 74/2024
GCMS No. 2024/218

मैसर्स शाकंभरी मां मिनरल्स शॉप नंबर पच्चीस रीको इंडिस्ट्रियल एरिया नीमकाथाना जरिये पार्टनर अजय कुमार पुत्र बुधराम चौधरी जाति महाजन निवासी वार्ड नंबर 2 जोशी कॉलोनी नीमकाथाना, राजस्थान

.... आवेदक

ब–ना–म

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0

.... अनावेदक

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क,
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: निर्णय :: दिनांक 07–06–2024

यह आवेदन पत्र आवेदक की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि ग्राम दूधवा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 898 के हाल खसरा नंबर 81 रकबा 0.29 हे., खसरा नंबर 82 रकबा 0.20 हे., खसरा नंबर 84 रकबा 0.09 हे. कुल किता 3 कुल रकबा 0.58 हे. का आवेदक खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम दूधवा स्थित भूमि खसरा नंबर 2993/166 में से आम सड़क ग्राम दूधवा से खेतडी नगर सिंघाना को जा रही है जिसका उपयोग आम नागरिक एवं आवेदक आने जाने के लिए करते आ रहे हैं तथा आवेदक अपनी भूमि खसरा नंबर 81, 82, 84 उत्तरी पश्चिमी कौने पर स्थित भूमि खसरा नंबर 2782/82 में से उतरी मियाल के सहारे–सहारे आने–जाने के रूप में उपयोग/उपभोग करता आ रहा है तथा इसी रास्ते से अपने खेत खसरा नंबर 81, 82, 84 में जोत के लिए ट्रेक्टर ट्राली एवं अन्य सा[illegible]ले जाता रहा है। लेकिन आवेदक का उक्त रासता राजस्व रिका[illegible] को अपने खेत खसरा नंबर 81, 82, 84 में आने–जाने के लिए भूमि [illegible]बर 2782/82 की उत्तरी सीमा के साहारे–साहारे 10 मीटर चौडाई में रास्ता की आवश्यकता है इसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

अलावा आवेदक को अपने खेत खसरा नंबर 81, 82, 84 में आने–जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है आवेदक सदैव से ही इसी रास्ते का उपयोग–उपभोग करता आ रहा है। प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा एवं नक्शा ट्रेस संलग्न आवेदन पत्र है भूमि खसरा नंबर 2782/82 अनावेदक सं. 1 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि पर वर्तमान में काश्त नहीं होती है। आवेदक की भूमि खसरा नंबर 81, 82, 84 में आने जाने के लिए राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता नहीं है केवल भूमि खसरा नंबर 2993/166 में स्थित दूधवा खेतड़ी नगर को जाने वाली आम सड़क से पूर्वी दिशा में स्थित भूमि खसरा नंबर 2782/82 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे ही आवेदक अपने खेत में प्रवेश करते हैं अर्थात् आवेदक को अपने खेत खसरा नंबर 81, 82, 84 में पहुंचने के लिए तथा अपनी फसल आदि लाने ले जाने के लिए 10 मीटर चौड़े रास्ते की आवश्यकता है जो भूमि खसरा नंबर 2782/82 में से नजरी नक्शे के अनुसार आवेदक को दिलवाई जाने योग्य है क्योंकि आवेदक के पास अपने खेत में जाने–जाने के लिए प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता भौतिक रूप से अधिक सुविधाजनक एवं रास्ते में से कम से कम भूमि काम आती है। आवेदक को अपने खेत खसरा नंबर 81, 82, 84 में आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है आवेदक ना तो अपने खेत में आसानी से आ जा सकता है और ना ही फसल काश्त करने के लिए ट्रेक्टर आदि साधन ले जा सकता है तथा फसल/उपज को काटने लाटने के लिए साधन आदि पहुंच पाते है जिससे आवेदक को बेहद परेशानी होती है एवं अपने महत्वपूर्ण खातेदारी अधिकारों का उपयोग उपभोग नहीं कर पाता है इसलिए आवेदक अपने खेत खसरा नंबर 81, 82, 84 में आने जाने के लिए ग्राम दूधवा स्थित भूमि खसरा नंबर 2782/82 में से रास्ता प्राप्त करने का अधिकार है। आवेदक धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की पालना करने के लिए तैयार एवं तत्पर है एवं आवेदक भूमि के बदले भूमि भी देने को तैयार है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम दूधवा स्थित भूमि खसरा नंबर 81, 82, 84 कुल किता 3 कुल रकबा 0.58 है. में पहुंचने के लिए नजरी नक्शे के अनुसार भूमि खसरा नंबर 2782/82 उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे आम [illegible] नंबर 2993/166 से 10 मीटर चौड़ाई में आवेदक की भूमि [illegible] कर रिकॉर्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अनावेदक को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अनावेदक राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की बिन्दुवार रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2024/317 दिनांक 03.06.2024 से प्रस्तुत की है जो निम्नानुसार है कि :–

1. आवेदित रास्ते की आवश्यकता परम आवश्यक है तथा यह जोत के मात्र सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है।
2. विशेष रूप से किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नाम मार्ग के मामले में पहुंचने के वैकल्पिक साधनों का अभाव सिद्ध होता है।
3. प्रस्तावित रास्ता 9.15 मीटर चौड़ा है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ते की सीमांकित/दर्शित नक्शा ट्रेस में किया गया है जिसमें प्रस्तावित मार्ग निकटतम व लघुतम है।
4. प्रस्तावित रास्ते के लिए प्रभवित भूमि का क्षेत्रफल 109.80 वर्गमीटर है। जिसकी डीएलसी दर 18800/– रूपये बनते हैं जिसकी दुगुनी राशि 37600/– रूपये है।
5. प्रस्तावित रास्ते के लिए अवधारित भूमि के मूल्य के अतिरिक्त कोई वृक्ष फसल या निर्माण नहीं है।

उक्त रिपोर्ट के साथ भू–अभिलेख निरीक्षक वृत दूधवा नांगलिया की मूल मौका जांच रिपोर्ट संलग्न कर भिजवाई है जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता आवेदक सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत दूधवा नांगलिया का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतडी की रिपोर्ट रिपोर्ट अनुसार आवेदक को रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। भू–अभिलेख निरीक्षक वृत दूधवा नांगलिया की मौका जांच रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शा के अनुसार भूमि खसरा नंबर 82 में पहुंचने हेतु लाल स्याही से अंकित प्रस्तावित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्ते में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 12 मी[illegible]बनता है। प्रार्थी के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 82 में [illegible] साधन का अभाव है। प्रार्थी का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible] 251–क के प्रावधानो की पूर्ति करता है, अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 251 [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी दिनांक 03–06–2024 के प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम दूधवा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 82 रकबा 0.20 है. में जाने के लिए मौका जांच रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक वृत दूधवा नांगलिया की रिपोर्ट दिनांक 31.05.2024 में नजरी नक्शा (प्रदर्श–अ) में लाल स्याही से अंकितानुसार कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त प्रस्तावित रास्ते में राजकीय भूमि खसरा नंबर 2782/82 में से 9.15 मीटर चौड़ाई में 109.80 वर्गमीटर रास्ते हेतु निर्वापित की जानी है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 109.80 वर्गमीटर भूमि की दुगुनी राशि 37600/–रू. (अक्षरे सैंतीस हजार छः सौ रूपये) प्रार्थी तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवाये। तहसीलदार, खेतड़ी भूमि खसरा नंबर 2782/82 के प्रतिकार की राशि राजकोष में जमा करेंगे। तदनुसार भूमि खसरा नंबर 2782/82 के रकबे में से रास्ते की बाबत 109.80 वर्गमीटर भूमि निर्वापित कर राजस्व रिकार्ड में किस्म "गैर मुमकीन रास्ता" के रूप में राजकीय खाते में अभिलिखित करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 07–06–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/6/24.

(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतडी
उपखण्ड अधिकारी, खेतडी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला-नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Savita Sharma
Date: 2024.06.11 16:38:24 IST
Reason: SelfAttested